

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

आलम बनाम इनायत खां

नम्बर-64 वर्ष:-...2023

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.11.2023	यह प्रार्थना पत्र प्राथीगण की ओर से वकील श्री वसीम अकरम आजाद ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक-..... <u>28-12-23</u> को पेश हो।	
28-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकील आशी उपास्थित तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 28-12-23 को पेश हो।	
29-2-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उ.अप्रार्थी सं-1 से 18, P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। 20,21 के नोटिस तामील- अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>7-3-24</u> को पेश हो।	
7-3-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उ. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>14-3-24</u> को पेश हो।	
14-3-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उ. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>15-3-24</u> को पेश हो।	
15-3-24	पत्रावली पेश हुई। वकील आशी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद आशी व वकील की प्रार्थना में से कोई उपस्थित नहीं। अतः आशी का प्रार्थना-पत्र अदम दायरी/अदम पत्र के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुक्रा होमल नामा ले कर है।	

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

